न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 57/2017

अनवान :

1. रामसिंह } पुत्रान श्री सादीराम जाति जाट निवासीगण निनाण
2. दाताराम } तहसील भादरा।
3. नत्थूराम } पिसरान माडूराम जाति जाट निवासीगण निनाण
4. माधोराम } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. फूलाराम }
6. महेन्द्र }
7. महेन्द्र पुत्र दूनीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. भतेरी पत्नी दूनीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. कमला पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. प्रदीप पुत्र हवासिंह जाति जाट आयु 16वर्ष जरिये वली कुदरती माता कमला पत्नी हवासिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र सादीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। (राजस्थान)
2. तहसीलदार राजस्व भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल
एवं श्री कृष्ण भारी : **प्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक :** 29/11/2017

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि चक 11 एएमएस पटवारी हल्का निनाण के वर्तमान खाता सं0 78/36 के मु0नं0 48 के किला नं0 17/2, 18/2, 21 ता 25 कुल खसरा सं0 7, कुल क्षेत्रफल 1.3920 है0 व प्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि उपरोक्त चक में खाता सं0 33/36 के मु0नं0 48 के किला नं0 13, 18/1, 19, 20 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 0.999 है0 व उपरोक्त चक में प्रार्थी सं0 3 ता 6 की कृषि भूमि मु0नं0 47 के किला नं0 21, मु0नं0 48 के किला नं0 25/1 मु0नं0 49 का किला नं0 1 ता 5, मु0नं0 50 के किला नं0 1 कुल खसरा 8 कुल क्षेत्रफल 1.8970 है0 व प्रार्थी संख्या 7 ता 10 के नाम उपरोक्त चक के खाता सं0 57/61 के मु0नं0 48 का किला नं0 6, 7, 8, 14 कुल किता 4 कुल क्षेत्रफल 1.012 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

अप्रार्थी सं0 1 के नाम कृषि भूमि चक 11एएमएस के वर्तमान खाता सं0 66/68 के मु0नं0 47 का किला नं0 11, 20 जिसमें किला नं0 11 में गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है0 व मु0नं0 48 के किला नं0 15, 16 में रास्ता 0.013 है0 व किला नं0 17/1 कुल खसरा 5, कुल क्षेत्रफल 1.0250 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि पहले शामिल खाते की हुआ करती थी जो सादीराम पुत्र रामदयाल के नाम से संवत 2029 से 32 की जमाबंदी में नाम दर्ज था तथा खाता विभाजन होकर के प्रार्थीगण व अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि मिली है।

खाता विभाजन करते समय पक्षकारों के रास्ते का निर्धारण राजस्व रिकार्ड में नही किया गया व पक्षकारों ने अपनी सुविधा अनुसार रास्ता कायम कर लिया तथा उस पर आवागमन शुरू कर दिया। लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन नहीं हो पाया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को कैम्प दिनांक 12.06.2017 को हुई। उक्त जानकारी होने के कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को निम्न प्रकार से भूमि के बदले भूमि देकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तब अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की बातों से सहमत हो गया।

मु0नं0 47 के किला नं0 1, 10 के उतर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1–1 गट्ठा रास्ता मंजूर शुदा है व किला नं0 11 के उतरी दिशा में पूर्व से पश्चिम मंजूर शुदा रास्ता है तथा मु0नं0 48 के किला नं0 15 की कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 मोहरसिंह के नाम दर्ज है में उतर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1 गट्ठा रास्ता दर्ज करवाने चाहते है जिसके बदले में मु0नं0 48 के किला नं0 6 में दक्षिणी दिशा में किला नं0 15 के चिपते हुए 1 गट्ठा प्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 देने के लिए तैयार हुये तथा मु0नं0 48 के किला नं0 16 में उतर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1 बिस्वा रास्ता मंजूरशुदा है तथा उक्त किला अप्रार्थी सं0 1 मोहरसिंह के नाम दर्ज मंजूरशुदा है तथा उक्त किला अप्रार्थी सं0 1 मोहरसिह के नाम दर्ज है। उक्त किला के दक्षिणी तरफ 1 बिस्वा रास्ता पूर्व से पश्चिम दर्ज करवाना चाहते है जिसके बदले में मु0नं0 47 के किला नं0 21 की भूमि जो प्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि भूमि में से काटी जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा बदले में मु0नं0 48 के किला नं0 16 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता मंजूर किया जावे तथा मु0नं0 48 के किला नं0 17 की भूमि जो प्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में से 1 बिस्वा भूमि पूर्वी दिशा की काटी जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा किला नं0 17 के दक्षिणी साईड में पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता पहले से मंजूरशुदा है तथा मु0नं0 48 के किला नं0 18 की कृषि भूमि जो प्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज है में से आधा बिस्वा भूमि पूर्वी साईड में उतर से दक्षिण काटी जाकर प्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 सहमत हो गये थे। लेकिन उक्त अभियान में पटवारी हल्का द्वारा नक्शा तैयार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता व भूमि काटे जाने की जानकारी नहीं हो पाई तथा इसलिए राजस्व रिकार्ड में अभियान में रास्ता दर्ज नहीं करवा पाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं अप्रार्थी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की मद सं0 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं उसी अनुसार रास्ता की एवज में भूमि दिये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 11 एएमएस की अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार करते हुए इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं खातेदार को अपनी आराजी देख रेख व एवं कृषि उत्पाद को ढोने के लिए रास्ता की आवश्यकता होती है एवं पक्षकारान प्रार्थना पत्र की मद सं0 6 में वर्णित रास्ता ही सुविधाजनक व सरल व कम दूरी का रास्ता है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा चक 11एएमएस मु0नं0 48 के किला नं0 15 की कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 मोहरसिंह के नाम दर्ज है में उतर से दक्षिण पूर्वी दिशा में 1 गट्ठा रास्ता स्वीकार किया जाता है। रास्ता की एवज में मु0नं0 48 के किला नं0 6 में दक्षिणी दिशा में किला नं0 15 के चिपते हुए 1 गट्ठा प्रार्थीगण संख्या 7 ता 10 की कम की जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा मु0नं0 48 के किला नं0 16 के दक्षिणी तरफ 1 बिस्वा कृषि भूमि में पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है जिसकी एवज में मु0नं0 47 के किला नं0 21 की भूमि जो प्रार्थी सं0 3 से 6 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से कम कर अप्रार्थी सं0 1 के नाम 1 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। मु0नं0 48 के किला नं0 17 की भूमि जो प्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से 1 बिस्वा भूमि पूर्वी दिशा की काटी जाकर अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। किला नं0 17 के दक्षिणी साईड में पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा रास्ता पहले से मंजूरशुदा है तथा मु0नं0 48 के किला नं0 18 की कृषि भूमि जो प्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज है में से आधा बिस्वा भूमि पूर्वी साईड में उतर से दक्षिण काटी जाकर प्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जाकर रास्ता की एवज में मिली भूमि को अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा के आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़